

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,
मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष-0106-अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) विपत्र कोड 43- 4202021050106 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2491, दिनांक 11.10.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के वर्गकक्ष तथा दो बालक एवं एक बालिका छात्रावासों के लिए आवश्यकता आधारित उपकरण/उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 99,48,000=00 (निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 5202 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्ष में रू. 99,48,000=00 (निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
- उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।
- विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
- स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
- टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
- इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

निदेशक

Handwritten marks on the right margin.

7/10/17


निदेशक
7/10/17


प्रतिनिधि:- माननीय विभागीय मंत्री के आपस सचिव / उप निदेशक (य) / योजना सहायक / आई.टी. मैजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संभाला हेतु (निर्मित शाखा), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापक- वि.मं. (II) ब-8/2013 (पार्ट)-
49611/पटना, दिनांक 20/10/17

निदेशक
हं/-

प्रतिनिधि:- कर्षणार पदाधिकारी, राजकीय कौषागार, मोतिहारी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ज्ञापक- वि.मं. (II) ब-8/2013 (पार्ट)-
/पटना, दिनांक